न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 56/2015

GCMS No. – 2016/00008

1. घनश्याम पिता सुरजमल रावत आयु 12 वर्ष नाबालिग ज०स० माता गुड्डीबाई पत्नि सुरजमल रावत आयु वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडग़ढ राज०

प्रार्थी

बनाम

1. सुरजमल पिता भगवानसिंह रावत उम्र वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिलां चित्तौडगढ राज०

2. कैलाश पिता भगवानसिंह रावत उम्र वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. रामसिंह पिता भगवानसिंह रावत उम्र वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

4. ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह रावत उम्र वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

5. केसरवाई पुत्री भगवानसिंह रावत उम्र वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

6. भगवानसिंह पिता भेराजी रावत उम्र वयस्क निवासी ऊंचा नई आबादी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

7. भूमि धारी तहसीलदार जरिये राजस्थान सरकार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

घनश्याम बनाम सुरजमल
प्रकरण संख्या- 56/2015 प्रार्थनापत्र
GCMS No. – 2016/00008

:: निर्णय ::

दिनांक :– 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा ऊँचा पटवार हल्का जावदा तह० निम्बाहेडा खाता संख्या 87 की आराजी नं0 303 रकबा 4.6400 हैक्टेयर लगानी 55 रू0 68 पैसा, आ0नं0 305 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, आराजी नं0 334 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी नं0 341 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 342 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं0 343 रकबा 2.1200 हैक्टेयर ,आराजी नं0 347 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 348 रकबा 1.1700 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 9.7000 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के परदादा भेरा पिता देवा रावत नि० उंचा के जमाने से चली आ रही है। तथा उक्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थी का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित है। तथा उक्त आराजियात मे प्रार्थी का जन्म से अधिकार निहित है। और आराजियात भेराजी के नाम पर दर्ज चली आ रही थी भेराजी का देहान्त हो गया है। तथा भेराजी के पुत्र भगवानसिंहजी विपक्षी नं0 6 है एवं अन्य प्रतिवादीगण है। तथा भेरा जी की बेवा मोहनीबाई है जिनका देहान्त हो गया है इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात मे विपक्षी नं0 6 एवं अन्य प्रतिवादीगण काप्रत्येक का 1/5–1/5 हक हिस्सा है तथा विपक्षी नं0 6 भगवानसिंह का जी जो प्रार्थी के दादा है का 1/5 हिस्सा है और भगवानसिंहजी के 1/5 हिस्से में से विपक्षी नं0 1 ता 5 का व भगवानसिंह का यानि भगवानसिंह जी एवं विपक्षी नं0 1 ता 5 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हक हिस्सा यानि 1/30 हक हिस्सा है यानि विपक्षी नं० 1 सुरजमल जो प्रार्थी के पिता है उनका 1/30 वा हिस्सा है और प्रार्थी के पिता सुरजमल के 1/30 वे हक हिस्से मे से प्रार्थी का 1/2 प्रार्थी का और 1/2 हिस्सा विपक्षी नं० 1 का याने 1/60–1/60 वां हक हिस्सा निहित है। औरा इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपनी पुश्तैनी पैतृक आराजियात पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रार्थी ने विपक्षीगणो को प्रार्थी के हक हिस्से व पुश्तैनी पैतृक आराजियात का 1/60वां हिस्सा प्रार्थी के नाम अलग खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे है और प्रार्थी के हक हिस्से से इंकार हो गये है। तथा प्रार्थी के नाम पर खातेदारी मे दर्ज करा कर इसी अनुसार घोषणा कराने से इंकार हो गये है। तथा बटवारा कराने से भी इंकार हो गये है, इसलिए प्रार्थी ने उक्त आराजियात की घोषणा व बटवारा हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

3. वाद ग्रस्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का 1/60 वां हक हिस्सा होकर इसी अनुसार मौके पर प्राआराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। तथा वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 6 के नाम खातेदारी मे दर्ज होने से दिगर विपक्षी नं० 6 को बहला फुसलाकर वाद ग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करना चाहते है। तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा है व प्रार्थी एवं गांव के मौतबीर

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगणो को समझाने बुझाने पर भी वे नही मान रहे है। इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर शांतिपूर्ण तरिके से कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द हस्तांतरित करने की सुरत में तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की सुरत में अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को होगी।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु निवेदन किया।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूर्णीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्वण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के

अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested